

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 13(20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3


जयपुर, दिनांक: 1.6.2018

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र


भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.5.2018 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 जारी कर इसे तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त किया गया है। उक्त आदेश के द्वारा, भारत सरकार की पूर्व अधिसूचना सं 19(2)80-एल-1 दिनांक 12.2.81 द्वारा अधिसूचित किये गये अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (redefined) किया गया है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्त प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 19.5.2018 के पश्चात जारी होने वाली सभी विज्ञप्तियों के लिए उक्त अधिसूचना के प्रावधान प्रवृत्त होंगे।

  
(भास्कर ए. सावंत)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/ निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

  
1.6.2018  
संयुक्त शासन सचिव